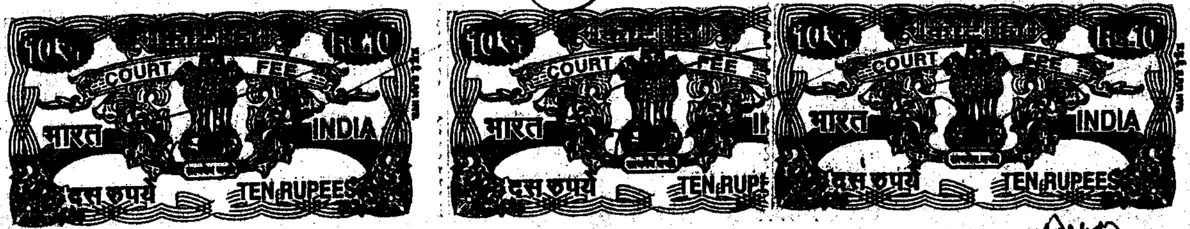

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर शिविर, भोपाल

प्र0क्र0 : निगरानी............/17 सीहोर

R 1405-II-17

(1) **धापूबाई** बेवा स्व0श्री राधेश्याम पारदी
(2) **रामचन्द्र** पुत्र स्व0श्री राधेश्याम पारदी
(3) **जितेन्द्र** पुत्र स्व0श्री राधेश्याम पारदी
(4) **राहुल** पुत्र स्व0श्री राधेश्याम पारदी
(5) **रेखा** पुत्री स्व0श्री राधेश्याम पारदी
(6) **हेमलता** पुत्री स्व0श्री राधेश्याम पारदी

क्र0–4 लगायत 6 नाबालिग,
सरपरस्त माँ **धापूबाई** बेवा स्व0श्री राधेश्याम पारदी
निवासी–कस्बा इछावर, तह0–इछावर,
जिला सीहोर (म0प्र0) ---- **निगरानीकर्तागण**

विरूद्ध

(1) **देवीबाई** परित्यक्तता स्व0श्री राधेश्याम पारदी
(2) **राजकुमार** पुत्र स्व0श्री राधेश्याम पारदी

निवासी–कस्बा इछावर, तह0–इछावर,
जिला सीहोर (म0प्र0) ---- **प्रत्यर्थीगण**

निगरानी अंतर्गत धारा–50 म.प्र भू–राजस्व संहिता–1959

महोदय,

विद्वान तहसीलदार महोदय, इछावर द्वारा प्र0क्र0–28, 36/अ–6/12–13 में पारित आदेश दिनाँक 23.02.2017 जिसके द्वारा उन्होंने निगरानीकर्तागण का आवेदन अंतर्गत धारा–151 व्य0प्र0 संहिता निरस्त किया से दु:खित एवं असंतुष्ट होकर यह निगरानी समयावधि में प्रस्तुत है।

प्रकरण के तथ्य

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम कस्बा इछावर स्थित खसरा क्र0–1140/5 रकबा 1.426 हे0 का पट्टा अपीलार्थी क्र0–1, 2 लगायत 6 के पति/पिता श्री राधेश्याम पुत्र

निरंतर...2...

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1405–दो/17 जिला –सीहोर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
05.6.17	आवेदक के अधिवक्ता श्री मेहरबान सिंह द्वारा तहसीलदार इछावर जिला सीहोर के प्रकरण कमांक 36/अ–6/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 23.2.2017 के विरूद्व इस न्यायालय में म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि ग्राम कस्बा इछावर स्थित खसरा कमांक 1140/5 रकबा 1.426 है0 का पटटा आवेदक कमांक 1, 2 लगायत 6 के पति/पिता श्री राधेश्याम पुत्र श्री श्रीकिशन प्राप्त हुआ था। इनकी मृत्यु दिनांक 31.7.2012 को हो जाने पर वारिसान हक में विधिवत नामांतरण कराया गया। उक्त वर्णित कृषि भूमि पर ही स्व0 राधेश्याम की परित्यक्तता पत्नि श्रीमती देवीबाई द्वारा तहसील न्यायालय में नामांतरण हेतु आवेदन दिया गया जिस पर से तहसीलदार इछावर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी इछावर से उक्त दोनों ही प्रकरणों में पुनरावलोकन की अनुमति लेने पश्चात उभयपक्ष को	

सूचना पत्र जारी करने पर निगरानीकर्तागण द्वारा एक आवेदन अंतर्गत धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि परित्यक्तता पत्नि को मृतक की संपत्ति में कोई अधिकार शेष नहीं रह जाता। आवेदिका का आवेदन 151 सी0 पी0 सी0 का निरस्त किया गया है इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3— आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 23.2.17 को जो आवेदन निरस्त कर साक्ष्य हेतु प्रकरण नियात किया गया है। अभी प्रकरण में आवेदक को अपना पक्ष रखने का अवसर है। अतः आवेदिका द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से अग्राह की जाती है। पक्षकार सूचित हों। राजस्व मण्डल का अभिलेख संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजी जावे।

सदस्य